(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 ~~पुनरीक्षण~~ विविध

I/विविध/टीकमगढ़/भू.रा/2017/6307

सहदेव सिंह तनय प्रताप सिंह
निवासी ग्राम–कीमरपुरा (आजादपुरा)
तहसील–ओरछा, जिला–टीकमगढ़

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला–टीकमगढ़ म.प्र.
2. मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग
और रोजगार विभाग, मंत्रालय भोपाल
द्वारा आयुक्त उद्योग संचालनालय भोपाल
मध्यप्रदेश

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा प्रकरण क्रमांक 03–1/2017 में दिनांक 14/02/2017 को पारित आदेश का पालन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता.

M.S. Belapurkar Adv
26-12-2017 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 4-1-2018 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 26-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, आवेदक द्वारा ग्राम–बवेडी जंगल स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–37/7 रकबा 26.191 हैक्टेयर में से रकबा 2.189 हैक्टेयर पर लगभग 50 वर्षो से आधिपत्य होने से उक्त भूमि को अपने नाम व्यवस्थापन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

2. यह कि, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 14/02/2017 को प्रकरण क्रमांक 3–1/2017 पुनरीक्षण में आदेश पारित करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था कि उक्त भूमि की नौइयत परिवर्तन करते हुये यदि आवेदक के पास कोई भूमि न हो तो सर्वे क्रमांक–37/7 रकबा 26.191 हैक्टेयर में से रकबा 2.189 हैक्टेयर भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में किये जाने की कार्यवाहीं की जावें।

Belapurkar 26-12-2017

26/12/17
शाखा प्रभारी (रा.अ.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

3. यह कि, आवेदक द्वारा उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई कार्यवाहीं राजस्व मण्डल के आदेश के पालन में न किये जाने के कारण आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश का पालन कराये जाने के निर्देश हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक–16026/2017 प्रस्तुत की उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया कि आवेदक माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें तथा माननीय राजस्व मण्डल उक्त आवेदन पत्र का विधि पूर्वक 6 सप्ताह में यथाशीघ्र निराकरण करें।

4. यह कि, माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की छायांप्रति इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रहीं है।

अतएव प्रार्थना है कि यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जायें कि राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक–3–1/2017 में पारित

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/विविध/टीकमगढ/भू.रा./2017/6307 **जिला** – टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.01.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3–एक/17 में दिनांक 14.02.2017 का आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश का पालन सुनिश्चत कराये जाने का अनुरोध किया गया। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया गया था और उस आवेदन पर क्या कार्यवाही हुई। दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश को वरिष्ठ न्यायालय (माननीय उच्च न्यायालय आदि) में कोई चुनौती नहीं दी गई हो तो राजस्व मण्डल के तत्कालीन सदस्य द्वारा पारित आदेश का कियान्वयन विधिवत किया जाए। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रशासकीय सदस्य	